Serial No. 7547 Circle:-:Patna Book No. :- 1 Deed No. 6700

Serial No. 7547 Deed No. 6700

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 24/07/2015 by Satyendra Kumar Alias Virendra Rai (Self Gur.)
A stamp duty of Rs. 126000/- and other fees of Rs. 20500/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 6700 in Book No. 1, Volume No. 159 on pages from 188 to 202 and has been preserved in total 15 pages in C.D. No. 25 / Year 2015

बिहार सरकार
SCORE 3.0

Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

Date: 24/07/2015 Token No: 7679 /2015

SCANNED

ॐ

विकास कार्य एकरारनामा

(Development Agreement)

यह विकास एकरारनामा आज दिनांक 24 माह जुलाई, सन् 2015 ई0 को निम्नलिखित पक्षों के बीच सम्पन्न हुआ।

District Registry Office,Patna

Token Number 7679 | Reg. Year 2015 | Serial Number 7547 | Deed Number 6700

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Kamalesh Kumar Singh (Partner)						
Sig.	Kamalesh Kumar Singh 24/07/2015						
Executant	Kunal Kumar (Minor)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Executant	Kundan Kumar Singh (Minor)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Executant	Prince Raj (Minor)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Presented By	Satyendra Kumar Alias Virendra Rai (Self Gur.)						
Sig.	सत्येन्द्र कुमार उर्फ विरेन्द्र राय 24-7-15						
Executant	Satyendra Kumar Alias Virendra Rai (Self Gur.)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sig.							
Identified By	Manoj Kumar Verma						
Sig.	मनोज कुमार वर्मा 24/7/2015						

सत्येन्द्र कुमार उर्फ विरेन्द्र राय

24-7-15

प्रथम पक्षगण

श्री सत्येन्द्र कुमार उर्फ विरेन्द्र राय पिता का नाम स्व0 सुखु राय, खुद वो वहैसियत वली वो गार्जियन पिता हकीकी मिनजानिव कुन्दन कुमार सिंह, कुर्णाल कुमार एवं प्रिंस राज पुत्रगण नावालिगान अपने, निवास स्थान महल्ला- सरिस्ताबाद पूर्वी टोला, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेगें) जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवंम

द्वितीय पक्ष

अपर्णा आर्किटेक्ट एवं एसोसिएट्स, निबंधन कार्यालय- 203, हाईटेक आर्केड, राजेन्द्र पथ, जिला- पटना पंजियन सं0 **DIN – 02174238** है द्वारा पार्टनर श्री कमलेश कुमार सिंह पिता का नाम श्री भगवान सिंह, निवासी- अनिसाबाद बाईपास रोड, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना रोड, वर्तमान पता- गंगा-301, जलालपुरी सिटी, राम जयपाल पथ, बेली रोड, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयकर्त्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

यह कि जमीन मालिक मौजा- चितकोहरा, परगना- फुलवारी शरीफ, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना के जिसका थाना नं0- 17 (सतरह), तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 128 (एक सौ अठाईस), खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 2037 (दो हजार सैतीस), एराजी 7 डीसमील (सात डीसमील) है, पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जा में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के कंडिका- 5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।



यह कि विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालिक की मौरूसी वो खतियानी सम्पति है। जिसपर भू-स्वामी के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी निर्विवाद काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकिल हुये वो रहे वो चले आये। कुछ समय पहले अर्थात दिनांक 17.07.1990 ई0 को एक लिखित पंचनामा बंटवारा भू-स्वामी एवं उनके पट्टीदारगण के बीच कुल पैतृक वो मौरूसी सम्पति के लिए हुआ। जिसके मुताबिक अन्य जायदाद के साथ प्लौट नं0- 2037 एवं 2036 में मिनजुमले रकवा 28 डी0 के चौथाई हिस्सा मवाजी 7 डी0 जमीन प्लौट नं0- 2037 में खास हक वो हिस्सा में भू-स्वामी को मिला। जिसपर भू-स्वामी निर्विवाद रूप से काविज वो दाखिल मालिक मुस्तकिल हुये वो अपने नाम से मालगुजारी रसीद कटाते चले आये। जिसका जमाबंदी नं0- 3594 है। भू-स्वामी अपने-अपने परिवार वो संतान वो जायदाद के कर्ता-धर्ता वो खैर खाह मुन्तजीम है।

3. लेख्य प्रकार :-

भूखण्ड विकसित करबे हेतु विस्तारक के साथ अनुरोध (विकास एकरारनामा)

4. भूखण्ड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कुल निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत भूखण्ड जमीन मालिक का होगा एवं 50 प्रतिशत विस्तारक (बिल्डर) का होगा।

5. भूखण्ड का विवरण :-

कुल क्षेत्रफल 07 डीसमील (सात डीसमील) है जो मौजा- चितकोहरा, परगना- फुलवारी शरीफ, सर्वे थाना- फुलवारी शरीफ, हाल थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना के थाना नं0- 17 (सतरह), तौजी - बिहार सरकार, खाता नं0- 128 (एक सौ अठाईस), खेसरा सर्वे प्लौट नं0- 2037 (दो हजार सैतीस), एराजी 07 डीसमील (सात डीसमील) है में अवस्थित है। जिसका वार्षिक लगान मो0 2 रूपया, अंचल कार्यालय पटना सदर के माध्याम से जमाबंदी संख्या- 3594 पर भुगतान किया जाता है। उपरोक्त जमीन पटना नगर निगम तथा जिला अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर के क्षेत्राग्त है। जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

ARADHNA ARCHITECT & ASSOCIATES
Kamaldy Kumar
24/7/15
PARTNERS

चौहद्दी

उत्तर – श्री अजय राय

दक्षिण – श्यामबाबु राय

पूरब – दिगर खरीदारान श्री श्यामनारायण रजक

पश्चिम– श्री भोली राय

नोट :– उपयुक्त सम्पति वर्ष 2014 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं0– 114 एवं जोन 03 पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो0 63,00,000/– (तिरसठ लाख) रूपया है।

6. यह कि नक्शा स्वीकृति के एक महीना के भीतर विस्तारक एवं भूखण्ड स्वामी अपने–अपने हिस्से का निर्धारण कर लेगें एवं अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र का 1000/– रू0 स्टॉम्प पेपर पर आगे–पीछे उत्तर–दक्षिण सभी दिशाओं के फ्लैट का निष्पादन करेगें।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते है और इस उद्वेश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष बिल्डर को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तो पर दिया गया है :–

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि यह भूखण्ड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण–भार नहीं है। साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्जुजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य है और यह भूखण्ड बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नहीं होगा। प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि वे इस भूखण्ड के पूणतः मालिक है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) स्टैंड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेन्ट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेगें तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेगें जैसे उक्त भूखण्ड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मैटेरियल जमा करने हेतु एवं अन्य विकास पूर्व कार्य, जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

3. यह कि प्रथम पक्ष प्लॉट के उपर द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में सौप दिये है।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखण्ड या भूखण्ड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्च पर जल्द से जल्द निबटायेगें और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेगें।

5. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूखण्ड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेन्ट को निरस्त करने हेतु एवं उस भूखण्ड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च, किये गए राशि लेने के हकदार होगें, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार की दिक्कते पैदा नहीं करेगें।

6. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन तथा पार्किंग में प्रथम पक्ष का 50 प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष का 50 प्रतिशत हिस्सा होगा।

ARYAMA ARCHITECTS & ASSOCIATES
PARTNERS

24-7-2015

7. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उपर वर्णित भूखण्ड स्वामी के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या- 6 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होगें न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्स किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

8. प्रथम पक्ष जरूरत पड़ने पर इस भुखण्ड पर इस बिल्डर द्वारा भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेगें तथा नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।

9. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय-समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के पूर्व विकासक द्वारा निर्गत जमाबंदी रसीद एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगें।

10. प्रथम पक्ष पुनः सहमत है कि अगर निर्माण कार्य में विध्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखण्ड से संबंधित किसी तरह का विवाद को लेकर हुए केस के पश्चात् जिससे भवन निर्माण का कार्य करना बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATES

11. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि निर्माण में कार्य का निरीक्षण कर सकते है और किसी तरह का त्रुटि होने पर बिल्डर से कहकर उसका सुधार करवायेगें तथा अधिकृत या बैद्य कार्य बंद कराने का अधिकार जमीन मालिक को नहीं होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर होने कि तिथि से 4 वर्ष में निर्माण करके पहले पक्ष को उनका हिस्सा सौप देगें। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नहीं मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को 6 (छः) माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जायेगा। इसके बाद विलम्ब होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा पर ब्रन्थ हर्जाने के तौर पर प्रथम पक्ष के हिस्से के फ्लैट का किराया मो0 6000/- (छः हजार) रूपया प्रति फ्लैट के बराबर प्रतिमाह किराया प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को देना होगा।

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेगें और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होगें तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होगें और उसका नियमानुकुल समक्ष निबंधन कार्यालय में निबंधन करेगें जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेगें और बिक्रय के लिए एकरारनामा करेगें। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATES
PARTNERS

24-7-2015

14. बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिक्रय पत्र निष्पादित कर सकते है और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकते है या अपने पास रख सकते है उसमें द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौपेगें उसके बाद ही द्वितीय पक्ष अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौपेगें।

15. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि सबसे उपरी छत, सेट बैक, सिढ़ी इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

16. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस कम्पलेक्स का नाम आपसी सहमती से रहेगा।

17. सभी तरह के खर्चो का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की होगी।

18. बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी, आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विद्युत एवं जेरनेटर द्वारा विद्युत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेगें तथा विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालिक लेवेगें।

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATE
PARTNERS

29-7-2015

19. यह कि प्रथम पक्ष के बचे हुए जमीन के भू-भाग पर इस अपार्टमेन्ट के रास्ते से निर्विवाद रूप से आने-जाने का अधिकार बना रहेगा। इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

20. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युकत अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होगें तथा उसी अनुपात में जमीन मालिक एवं केताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

21. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रकियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूंजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक-ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ 50 प्रतिशत (पच्चास प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेगें। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेगें।

22. यह कि विकासक को उक्त प्लौट के साथ बाद में मिले प्लौट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) एवं उनके उतराधिकारी को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

23. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा।

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATES
PARTNERS

एनेक्चर

कम्पलेक्स के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण :-

1. फाउन्डेशन आर0 सी0 सी0 पाईलिंग
2. स्ट्रक्चरल आर0 सी0 सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईटवर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ
4. छत आर0 सी0 सी0
5. फर्श मार्बल/विट्रीफाईड टाईल्स
6. पलास्टर दिवाल सिमेन्ट मोर्टार (1:6) सिंलिग सिमेन्ट मोर्टार (1:4)।
7. दरवाजा हार्डउड लकड़ी का चौखट 32 मी0 मी0 मोटा फ्लाश डोर प्राइमर सहित।
8. खिड़की लकड़ी फ्रेम खिड़की शीशा लगा।
9. रसोई घर मार्बल का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच गलेज्ड-टाईल्स।
10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट गलेज्ड टाईल्स तथा सतह में मार्बल फ्लोरिंग/टाईल्स।
11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ड पी0 वी0 सी0 कॉनड्युट वायरिंग सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटी का फिटिंग-स्वीच के साथ।
12. दीवाल फिनिशिंग अंदर से प्लास्टर ऑफ पेरिस/वालपुटी
13. टी0 वी0 प्वाईन्ट, सभी कमरों में एक प्वाईन्ट।
14. टेलिफोन प्वाईट, सभी फ्लैटों में एक प्वाईट।
15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।
16. जेनेरेटर एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा।
17. लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का
18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।
19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़ सिमेंट एवं ईट ए-ग्रेड पैम्प मार्क का होगा तथा नल जगवार कम्पनी, मार्बल डुमरी, टाईल्स कजरिया या सोमानी का होगा।

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATES
PARTNERS
24/7/15

24-7-2015

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डिवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने-अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाह का हस्ताक्षर

1. राकेश कुमार
पिता - श्री [illegible]
क्रोड - [illegible]
पेशा - [illegible]
उम्र - [illegible]
जिला - पटना
24.07.2015

2. मनोज कुमार
श्री [illegible] शर्मा
[illegible]
[illegible]
24/7/2015

भू-स्वामिगण का हस्ताक्षर

सही सत्यापित कुमार [illegible] सिंह 24-7-2015

डेभलपर्स का हस्ताक्षर

APARNA ARCHITECT & ASSOCIATES
Kamalesh Kumar
PARTNERS
24/7/15

कम्प्युटरकर्ता

राजू कुमार

प्रारूपकर्ता

Suresh Prasad
Patna Sadar

24/7/15

24/7/15

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 126000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 0/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs. 146500/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		

TOTAL- 20000

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	500
Proc.Fee	0	
Total	0	

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20500

Date: 24/07/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 24th July 2015 by Satyendra Kumar Alias Virendra Rai (Self Gur.) S/O-Late Sukhu Rai by profession Others. Status - Executant

24-7-15

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:24/07/2015**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Manoj Kumar Verma' age '39' Sex 'M', 'S/O-Ramchandra Prasad', resident of '4, Chitkohra, Basti Gali No.-2, Patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 24/07/2015

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 159 on pages on 188 -202 , for the year 2015 and stored in CD volume No. CD-25 year 2015 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 24/07/2015

Registering Officer
Patna

oken No. : 7679 Year : 2015 S.No. : 7547 SCORE Ver.3.0 Deed No . : 6700

अन्दर मो० शब्दों में (रू०) मात्र

चतुर्थ प्रति — बिहार सरकार

(जमाकर्त्ता कार्यालय हेतु) — निबंधन विभाग — गैर भावक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम/पता Aparna Architect & Associates
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) Pvt. Ltd. Rajendra Path
2. दस्तावेज का प्रकार Development Agreement Patna
3. निबंधन कार्यालय Patna Sadar
4. बैंक का नाम एवं शाखा S.B.I. Main Branch Patna
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण

क्र०सं०	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-103-दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क उगाहा-उप शीर्ष 0001, सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई-7549 इतर प्राप्तियाँ **विपत्र कोड-R0030021030001**	1,26,000
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क-उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क-उप शीर्ष 0001, प्राथमिक इकाई-7549 सकल प्राप्तियाँ **विपत्र कोड-R0030031040001**	20,000
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029 भू राजस्व लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ-उप शीर्ष-0006 अन्य मदें-प्राथमिक इकाई-7549 भूमि निबंधन शुल्क से आय **विपत्र कोड-R0029008000006**	1
	भुगतान का माध्यम : नगद/चेक/ड्राफ्ट कुल राशि शब्दों में कुल योग	1,46,000/-

स्थान
तारीख 29/7/15

जमाकर्त्ता का हस्ताक्षर

चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित करें।

चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के उपरांत ही मान्य होगी।

FOR USE OF THE BANK

स्क्रौल नं० तारीख उपर्युक्त के अनुसार

संख्या 05 में दिए गये विवरण के अनुसार

शब्दों में प्राप्त किए।

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

निबंधन हेतु मालिक द्वारा जमा करने का विवरण

राशि रू० शब्दों में एकको लेखा सं० :

जमा करने की तिथि :

बैंक स्क्रौल सं०

बैंक की प्राप्ति एवं मुहर

NEW GRAPHIC

कोड सं./Code No. 100199012

प्रपत्र Pay-in-slip — नकद/अंतरण CASH/TRANSFER

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

शाखा Branch

दिनांक Date 29/7/15

खाते का प्रकार : बचत बैंक/चालू/खाता/आवर्ती जमा/सावधि जमा/एसटीडी/आर केप्स क्रेडिट मार्फत/अन्य खाता सं०

Type of Account: SB/CA/RD/TDR/STDR/CC/TL A/c. No.

खाता सं० A/c. No.										
	1	1	0	4	4	2	8	4		

के बैंक खाने में जमा करने हेतु For the credit of the A/c. No.

Account of Pushpa Sinha

	रुपये Rupees	पैसे Paise
नकद चेकों के विवरण पीठ को देखें और Details of Cash/Cheques Overleaf		
खाते में नकद जमा Cash Deposit in the account	500/-	
नकदी रखरखाव शुल्क Cash Handling charges		
कुल जमा Total Deposit	500/-	

रुपये (शब्दों में) Rupees (in words) Five hundred only

एस.डब्ल्यू.ओ. SWO

रोकड़ अधिकारी/पर्यवेक्षक Cash Officer/Supervisor

7488411827

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 2017/95075/02462

पहचान कर्ता

To
राहुल कुमार
S
Rahul Kumar
S/O: Mishri Ray
HARNI CHAK
Paliwan
Amsabad
Phulwari Patna
Bihar 800002
9304523903

06/07/2014
1515531366

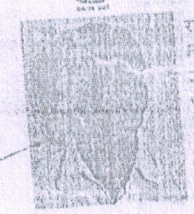
ML515531366FT

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

6510 4273 1521

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India



राहुल कुमार
Rahul Kumar
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1979
पुरुष / Male

6510 4273 1521

आधार - आम आदमी का अधिकार

सही राहुल कुमार

24.07.2015

सत्यमेव जयते

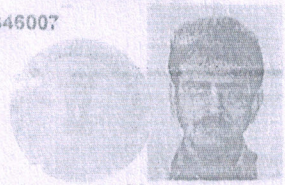
भारत निर्वाचन आयोग

पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA

IDENTITY CARD

RAB0346007



निर्वाचक का नाम : विरेन्द्र राय

Elector's Name : Virendra Ray

पिता का नाम : सुखु राय

Father's Name : Sukhu Ray

Sex / लिंग : Male/ पुरुष

जन्म तिथि
Date of Birth XX/XX/1968

RAB0346007

पता : १५,सरिस्ताबाद,
शहर/गाँव - पटना,
अंचल - पटना सदर,
जिला - पटना - ८००००१

Address : 15,Saristabad,
Town/Vill - Patna,
Anchal - Patna Sadar,
Distt - Patna - 800001

दिनांक / Date : 02/01/2009

१८१, दीघा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer 181,DIGHA Constituency

पता बदलने पर,नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा इस पते पर नयी संख्या का पत्र पाने के लिए सम्बन्धित फार्म में यह कार्ड संख्या अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with same number.

सही पाए गए
24-7-2015

भारत सरकार
Government of India



बिरेन्द्र राय
Birendra Ray
पिता : सुखु राय
Father : Sukhu Ray
जन्म तिथि / DOB : 06/01/1974
पुरुष / Male

6136 1924 0360

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता:
सड़क/मार्ग/गली: सरिस्ताबाद, स्थान चिह्न: पूर्वी टोला, स्थान: गर्दनीबाग, गांव/कस्बा/शहर: फुलवारी, ज़िला: पटना, पोस्ट ऑफिस: अनिसाबाद, राज्य: बिहार, पिन कोड: 800002

Address:
Street/Road/Lane: SARISTABAD, Landmark: EAST TOLA, Area/Locality/Sector: GARDANIBAGH, Village/Town/City: Phulwari, District: Patna, P.O.: Anisabad, State: Bihar, PinCode: 800002

6136 1924 0360

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

सही पहचान के लिए
24-7-2015